फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष वि...
	30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। पत्रावली शामिल रिकार्ड जवाब प्रा० पत्र का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर प्रार्थी का प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर दिनांक 16/11/17 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ता फैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

प्रार्थना पत्र संख्या ...115.../2017

गंगाराम यादव पुत्र श्री भौरीलाल जाति–अहिर निवासी–हीरो की ढाणी, बाजणी तलाई, सांगानेर

प्रार्थी

बनाम

1. भंवर पुत्र स्व. श्री कल्याण
2. सुन्दर पुत्र स्व. श्री कल्याण
3. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री कल्याण
4. नन्छीलाल पुत्र स्व. श्री कल्याण
5. हनुमान पुत्र स्व. श्री कल्याण
6. बद्री पुत्र हनुमान
7. दीपचन्द पुत्र हनुमान
8. गोपाल पुत्र सुन्दर
9. छोटू पुत्र सुन्दर
10. पूरण पुत्र रामस्वरुप
11. गोलू पुत्र भंवर

समस्त जाति–माली निवासी–बाजणी तलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, सांगानेर, जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी एक्ट 1955</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 115/2017
निर्णय दिनांक: 30.04.2025

उनवान

1. गंगाराम यादव पुत्र श्री भौरीलाल जाति अहिर निवासी हीरो की ढाणी वाजणी तलाई, सांगानेर(फाउते दौरान दावा)

1/1 श्योनारायण पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति अहीर निवासी हीरो की ढाणी, वाजणी तलाई, सांगानेर तहसील जिला जयपुर

1/2 रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति अहीर निवासी हीरो की ढाणी, वाजणी तलाई, सांगानेर तहसील जिला जयपुर

1/3 कैलाश पुत्र स्व0 श्री गंगाराम जाति अहीर निवासी हीरो की ढाणी, बजनी तलाई, सांगानेर तहसील जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवर पुत्र स्व0 श्री कल्याण
2. सुन्दर पुत्र स्व0 श्री कल्याण
3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री कल्याण
4. नन्छीलाल पुत्र स्व0 श्री कल्याण
5. हनुमान पुत्र स्व0 श्री कल्याण
6. बद्री पुत्र हनुमान
7. दीपचन्द पुत्र हनुमान
8. गोपाल पुत्र सुन्दर
9. छोटू पुत्र भंवर
10. पूरण पुत्र रामस्वरूप
11. गोलू पुत्र भंवर

समस्त जाति माली निवासी बाजणी तलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आज माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.06 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 2421 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2422 रकबा 0.73 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2462 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2721 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2722/2 रकबा 0.34 हैक्टयर, कुल किता 5 कुल रकबा 1.15 हैक्टयर स्थित बाजणी तलाई कस्बा सांगानेर जिला जयपुर मे है। जिसका प्रार्थी उपयोग उपभोग कर काश्त कर रहा है तथा अपने रहने हेतु आवास भी बना रखे

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 स्व. कल्याण के पुत्र व पौत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 12 राजस्थान सरकार भू स्वामी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी अपने खसरा संख्या 2422 के खेतो मे जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के पिता व दादा स्व. कल्याण पुत्र चन्दालाल से एक बाहमी इकरारनामा दिनांक 11.12.1992 मे लेखबद्ध करवाया। जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के स्व. पिता व दादा श्री कल्याण पुत्र चन्दालाल ने प्रार्थी को लिखित मे इकरारनामा लिखा कि वह अपनी भूमि खसरा संख्या 2452 के पूर्वी तरफ 8 फिट का रास्ता दोनो पक्षो के लिए चालू रखा। जिसमे प्रार्थी से भी 4 फिट रास्ते के पैसे 20,000/– रूपये दिनांक 11.12.1992 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के स्व. पिता व दादा श्री कल्याण पुत्र चन्दालाल ने प्राप्त कर लिये तथा लिखित में यह तय हुआ कि यह रास्ता 8 फिट की चौडाई में रहेगा जिसमे दोनो पक्ष समान रूप से उपयोग उपभोग मे लेते रहेगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय मे जाकर इसको न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड मे रास्ते के रूप मे अमल भी करवा लेगें। इसके बाद से प्रार्थी व प्रतिवादगण संख्या 1 लगायत 11 इस रास्ते को अर्स दराज से काम में लेते आ रहे है किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नही हुई और इस वाद पत्र मे यह 8 फिट का रास्ता ही विवादग्रस्त है। दिनांक 14.11.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 एकराय होकर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारजन को उक्त रास्ते से आवगमन से रोकने हेतु समय करीब सुबह 9:00 बजे कांटेदार बबूल की छडिया डालकर रास्ते को बंद करना चाहा और मौके पर बबूल की छडिया डाल दी और प्रार्थी के पुत्र के साथ मारपीट की तो प्रार्थी ने पुलिस थाना सांगानेर सदर मे जाकर उक्त घटना की रिपोर्ट पेश की जिस पर पुलिस थाना सांगानेर सदर द्वारा मौके पर आकर तब तो बबूल की उडियो को हटवा दिया परन्तु पुलिस के जाते ही अप्रार्थीगण संख्या । लगायत 11 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि पुलिसवाले क्या यही थोडे बैठे रहेगे हम जब भी चाहेगे उक्त रास्ते को बन्द कर देगे इस पर प्रार्थी ने अपने पास में लिखित इकरारनामे की बात कही तो अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 11 ने कहा कि हम किसी कागज को नही मानते है हम केवल लाठी के बल को जानते है। हम तुम्हे कभी भी इस रास्ते से आने जाने नहीं देगे। जिसके कारण आस पडौस के लोगो ने दोनो पक्षो का समझाकर अलग कर दिया अन्यथा प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 कोई अप्रिय घटना ही कारित कर देते। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 के हौसले बुलन्द है जो कभी भी प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारजन के विरूद्ध कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते है तथा मौके पर से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन का आवगमन विवादित रास्ते से बंद कर सकते है। जिससे प्रार्थी का हर्स दराज से आवगमन काम में लिया जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जायेगा और प्रार्थी अपने रास्ते के सुखाधिकार से वंचित हो जायेगा इसलिए उक्त रास्ते की घोषणा करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी के द्वारा उपयोग में लाये गये हर्से दराज के रास्ते मे आवगमन करने में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे इस हेतु अप्रार्थीगण के विद्वरू यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में बखुबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के हक मे है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत मे संभव नही होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता फैसला वाद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन को उक्त रास्ते मे आवगमन हेतु बाधा कारित नही करे ना तो ऐसा स्वयं करे ना ही ऐसा किसी दिगर व्यक्ति से करावे तथा पूर्व की भांति उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने देवे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 21.06.2019 को पत्रावली में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी पेश नही होने से अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 10.01.2020 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये व पत्रावली नोटिस पेश कर तलवाना पेश करने हेतु नियत की गई। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश नही। दिनांक 06.03.2025 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये गये व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता फैसला वाद अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन को उक्त रास्ते मे आवगमन हेतु बाधा कारित नही करे ना तो ऐसा स्वयं करे ना ही ऐसा किसी दिगर व्यक्ति से करावे तथा पूर्व की भांति उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने देवे।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का आधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वाके ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर, अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बंरान 2420, 2421, 2422, 2462, 2721, 2722/2 कुल किता 5 कुल रकबा 1.15 है0 भूमि के वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपने खसरा संख्या 2422 के खेतों में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 के पिता व दादा स्व0 कल्याण पुत्र चन्दालाल से एक वाहमी इकरारनामा दिनांक 11.12.1992 में लेखबद्ध करवाया जिसमें लिखा की व अपने भूमि खसरा संख्या 2452 के पूर्वी तरफ 8 फिट का रास्ता दोनों पक्षो के लिए चालू रखा जिसमें प्रार्थी सें भी 4 फिट के रास्ते के 20000 रूपये अप्रार्थीगण के पिता/दादा श्री कल्याण पुत्र चन्दालाल ने 11.12.1992 में लिए व लिखित समझौता हुआ। यह भी लिखित में तय हुआ कि 8 फिट का रास्ता दोनों पक्ष समान रूप से उपयोग उपभोग में लेते रहेगें व जरूरत पडने पर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवा लेगें। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 ने रास्ता रोकने के लिए उसमें कांटेदार बंबूल व झाडिया

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

डाल दिया व प्रार्थीगण नें ऐसा करने से मना किया तो उनके साथ मारपीट की। प्रार्थीगण ने वहमी इकरारनामा दिखाया परन्तु अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 इकरारनामा मानने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन को उक्त रास्ते मे आवगमन हेतु बाधा कारित नही करे ना तो ऐसा स्वयं करे ना ही ऐसा किसी दिगर व्यक्ति से करावे तथा पूर्व की भांति उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर